रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 78] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 21, 1975/फाल्गुन 2, 1896

No. 78] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 21, 1975/PHALGUNA 2, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Heavy Industry)

ORDER

New Delhi, the 21st February 1975

S.O. 107(E).—In exercise of the powers conferred by section 18G of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby rescinds, with immediate effect, the Commercial Vehicles (Restriction on Resale) Order, 1974, except as respects things done or omitted to be done before such recission.

[No. F. 2(61)/73-A.E.I.(I)]

S. M. GHOSH, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1975

का० आ० 107(अ).—उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार वाणिज्यिक यान (पुन : विक्रय पर निर्बन्धन) आदेश, 1974 को उन बातों की बाबत के सिवाय, तुरन्त प्रभावी रूप से विखण्डित करती है, जो ऐसे विखण्डन से पूर्व की गई हों या करने से रह गई हों।

[सं० फा० 2 (61) /73-ए० ई० आई० (1)]

एस० एम० घोष, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975